न्यायालय–ग्राम न्यायालय नवलगढ, जिला झुंझुनूं
प्रमोद कुमार चौधरी बनाम रामप्रकाश आदि
दीवानी दावा संख्या–25 / 2023
बीटी नम्बर–08 / 2023

दिनांक–31.01.2026

अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय है। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना–पत्र वास्ते साक्षी बुलाये जाने बाबत दिनांक 04.12.2025 का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब प्रार्थना–पत्र का अवसर बंद किया जाता है। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृति करते हुए मौखिक रूप से तर्क दिया है कि प्रतिवादी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका को साक्षी के तौर पर बुलाना चाहता है। जिनके द्वारा संपत्ति शुल्क व ग्रहकर रसीदें जारी की गयी हैं। उपरोक्त आधारों पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाए जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस अपने कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए मौखिक रूप से तर्क दिया है कि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य सूची में गवाह का नाम उल्लेखित नहीं किया गया था तथा जिन दस्तावेजात के लिए अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका को तलब करवाना बताया गया है। उक्त दस्तावेजात आज दिनांक तक विवादित नहीं है, ना ही न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में पेश हुए हैं तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रकरण में देरीना के आशय से प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आधारों पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया।

सुना गया। उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्यनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधिवक्ता प्रार्थी ग्रहकर रसीद तथा संपत्ति शुल्क जारी करने वाले प्राधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मुकुंदगढ़ को साक्षी के तौर पर तलब करवाना चाह रहा है। इस संबंध में न्यायालय का मत व विवेचन इस प्रकार है कि संपत्ति शुल्क व ग्रहकर रसीदें स्वयं प्रतिवादी या वह व्यक्ति जिसने उक्त संपत्ति शुल्क ग्रहकर रसीद जमा करवायी हो व अपनी संपत्ति बाबत स्वयं प्रस्तुत कर सकता है तथा ग्रहकर रसीदें लोक दस्तावेज की श्रेणी में आती है। संपत्ति शुल्क व ग्रहकर की रसीदें लोक दस्तावेजात होने से प्रतिवादी स्वयं अपने साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता है तथा यहां यह भी स्पष्ट है कि आज तक प्रतिवादी की साक्ष्य पत्रावली में पूर्ण नहीं हुई है। प्रतिवादी की जिरह होना शेष है। यदि जिरह में उक्त दस्तावेजात के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो उसका निस्तारण उसी अनुसार किया जा सकता है। इस स्तर पर मात्र ग्रहकर रसीद व संपत्ति शुल्क के लिए अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मुकुंदगढ़ को साक्षी के तौर पर बुलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ग्रहकर रसीदें स्वयं पक्षकार भी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए प्राधिकारी अधिशाषी अधिकारी साक्षी के तौर पर बुलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जिसे प्रतिवादी अपने साक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त आधारों पर तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में तथा पालना आदेश में दिनांक **06.02.2026** को पेश हो।

न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
जिला झुंझुनूं, राजस्थान